इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

संपूर्ण पोषण, बनाये संतान को चैम्पियन

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना
संपूर्ण पोषण, बनाये संतान को चैम्पियन

संतान के जीवन के पहले महत्त्वपूर्ण 1000 दिन

गर्भावस्था 270 दिन + पहला वर्ष 365 दिन + दूसरा वर्ष 365 दिन = 1,000 दिन

गर्भावस्था से प्रसव तक

गर्भाशय में संतान का सही विकास माँ के सही पोषण पर निर्भर करता है

जन्म से 6 महीने तक

इस दौरान शिशु को पूरा पोषण सिर्फ अपने माँ के दूध से ही मिलता है

7 महीने से 2 वर्ष तक

बढ़ती उम्र के साथ संतान की पोषण जरूरतें भी बढ़ती है, माँ के दूध के साथ जोड़ें पौष्टिक ऊपरी आहार

चैम्पियन री माँ, थोड़ो और खा, थोड़ो बेहतर खा!

नए समाज की ओर
Towards a new dawn
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
IPE GLOBAL
CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना
संपूर्ण पोषण, बनाये संतान को चैम्पियन

दो वक्त का खाना समझो अपने लिए, बाकी खाओ आने वाली चैम्पियन के लिए

दिन में 3 बार सामान्य भोजन

+

सामान्य भोजन के अलावा बीच-बीच में ऊपरी आहार लें

*शाकाहारी परिवारों को अतिरिक्त दूध और दूध के उत्पादों का सेवन करना चाहिए।

चैम्पियन री माँ, थोड़ो और खा, थोड़ो बेहतर खा!

अधिक जानकारी के लिए
अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पर संपर्क करें

नए समाज की ओर
Towards a new dawn
महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार
IPE GLOBAL
CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

संपूर्ण पोषण, बनाये संतान को चैम्पियन

गर्भवती महिलाओं के लिए 5 महत्त्वपूर्ण संदेश

1. चैम्पियन के दिमाग और दिल के सही विकास के लिए, अधिक मात्रा में तथा बार–बार भोजन करें

2. भूख न लगने पर भी खाएं ताकि आपका चैम्पियन भूखा ना रहे

3. आयरन युक्त आहार का अधिक मात्रा में सेवन करें
   कैल्शियम की गोलियां सुबह और दोपहर को तथा आयरन की गोली रात सोते समय लें, कैल्शियम तथा आयरन की गोलियां कभी भी एक साथ न लें

4. रात की पूरी नींद के अलावा दिन में दो घंटे आराम भी करें

5. अगली एएनसी (प्रसव पूर्व जांच) के लिए जरूर आएं और अपना वजन भी नपवाएं

चैम्पियन री माँ, थोड़ो और खा, थोड़ो बेहतर खा!

अधिक जानकारी के लिए
अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पर संपर्क करें

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार

IFE GLOBAL | CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

संपूर्ण पोषण, बनाये संतान को चैम्पियन

गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए ₹ 6,000 तक की वित्तीय सहायता

नकद सहायता राशि, योजना की शर्तों के पूरा होने के उपरांत किश्तों में दी जाएगी (केवल दूसरी संतान के लिए)

- पहली किस्त - ₹1,000
- दूसरी किस्त - ₹1,000
- तीसरी किस्त - ₹1,000
- चौथी किस्त - ₹2,000
- पाँचवीं किस्त - ₹1,000

योजना की शर्तों की जानकारी तथा पंजीकरण कराने के लिए आँगनवाड़ी कार्यकर्ता से सम्पर्क करें

चैम्पियन री माँ, थोड़ो और खा, थोड़ो बेहतर खा!

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार

IFE GLOBAL | CHILDREN'S INVESTMENT FUND FOUNDATION

सब को ज़िम्मेदारी है निभाना,
थोड़ा और, थोड़ा बेहतर है खिलाना

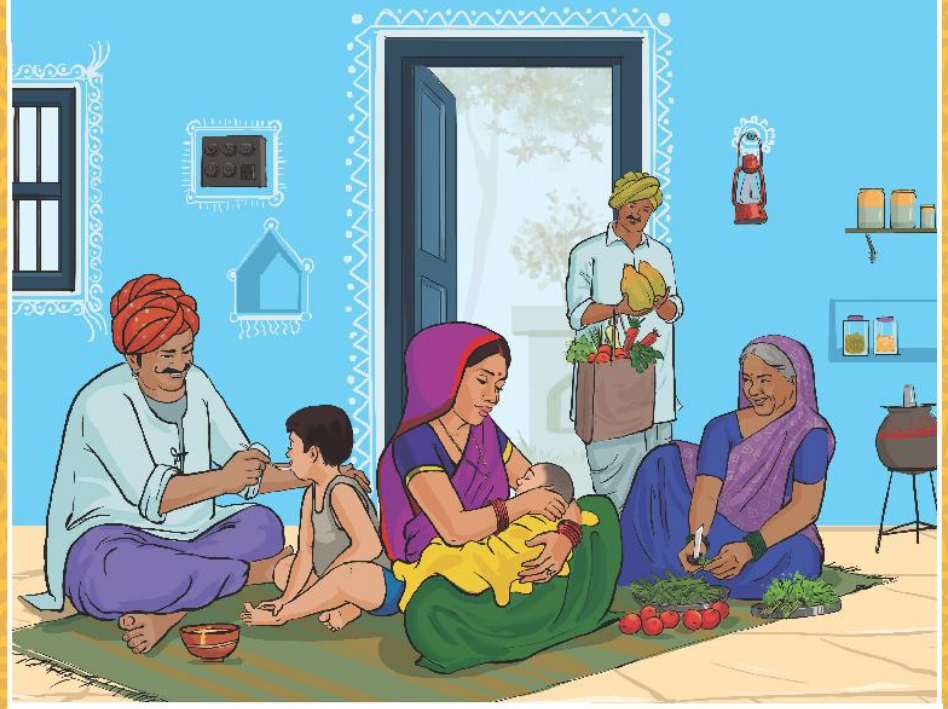

सुपोषित माँ ही सुपोषित संतान का है आधार,
पोषण में सिर्फ माँ नहीं पूरा घर हो जिम्मेदार

महिला एवं बाल विकास निदेशालय, राजस्थान सरकार

Open Size: 297mm x 210mm

पंजीकरण

- योजना के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और कागज़ रहित है। लाभार्थी को केवल एक बार अपने पासबुक, आधार कार्ड और ममता कार्ड की छायाप्रति (फोटोकॉपी) जमा करानी होगी।
- योजना की शर्तों का अनुपालन करने पर लाभार्थी की जानकारी स्वतः IGMPY ऐप में पंजीकृत हो जायेगी।
- पंजीकरण के प्रत्येक चरण के 30 दिन के भीतर लाभार्थी को किश्त मिल जायेगी।

कार्यान्वयन

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना में राजस्थान सरकार के तीन विभागों का योगदान है।

खान और भूविज्ञान विभाग के अधीन ज़िला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट) खनन प्रभावित क्षेत्रों में महिला और बाल विकास के लिए योजना का वित्त पोषण करेगा।

नए सवेरे की ओर
Towards a new dawn

महिला और बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी केन्द्रों द्वारा योजना का कार्यान्वयन होगा।

DMHFW-Rajasthan
Department of Medical, Health & Family Welfare Rajasthan

चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के ANM और आशा लाभार्थीयों को उचित पोषण और शिशु के देखभाल सम्बन्धी परामर्श देंगे।

इस प्रकार भिन्न विभागों का महिला और बाल विकास हेतु जुड़ना राज्य के लिए अद्वितीय पहल है।

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

गर्भवती महिलाओं के उचित पोषण हेतु वित्तीय सहायता

एक नज़र में

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान सरकार

Open Size: 297mm x 210mm

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

- राजस्थान सरकार ने गर्भवती महिलाओं, नई माताओं और शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना की शुरूआत की है।
- इस योजना के अंतर्गत जन्म के समय कम वजन और बच्चों में अत्यधिक दुबलापन कम करने के लिए दूसरी बार गर्भवती और धात्री महिलाओं को **₹6,000** की वित्तीय सहायता मिलेगी।
- सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से माँ को पौष्टिक आहार खाने और संतान की उचित देखभाल करने हेतु प्रेरणा मिलेगी ताकि बच्चा रहे स्वस्थ और जीवन के दौड़ मे बने चैम्पियन।

पाँच किश्तों में सहायता राशि का प्रावधान

पहली किश्त	द्वितीय संतान के समय प्रथम गर्भावस्था जाँच व पंजीकरण होने पर (120 दिवस में)	1,000
दूसरी किश्त	2 प्रसव पूर्व जाँचें पूरी होने पर (गर्भावस्था के 6 माह के भीतर)	1,000
तीसरी किश्त	बच्चे के जन्म पर (संस्थागत प्रसव पर)	1,000
चौथी किश्त	3 ½ माह तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात के जन्म पंजीकरण होने पर	2,000
पाँचवीं किश्त	द्वितीय संतान के उपरान्त स्थायी परिवार नियोजन साधन / कॉपर टी लगवाने पर	1,000
	कुल राशि	**6,000**

वित्तीय सहायता दूसरी बार गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बेहतर पौष्टिक आहार प्राप्त करने में मदद करेगी।

योजना क्षेत्र

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना राज्य के चार जनजातीय ज़िले बाँसवाड़ा, डूँगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर में क्रियान्वित होगा।

निर्बन्धन एवं शर्तें

- योजना हेतु ऐसी सभी महिलाओं का पात्र लाभार्थी माना जाएगा।
  - जो 01-11-2020 को या उस तारीख के बाद से दूसरी संतान के साथ गर्भवती हैं
  - अथवा उस तारीख के बाद दूसरी संतान के लिए प्रथम एएनसी के रूप में पंजीकृत हुई हैं।
- जो महिलाएं केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित रूप से रोजगार में हैं या जो किसी अन्य लागू कानून के तहत इसी तरह का लाभ प्राप्त कर रहीं हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- जहाँ इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के तहत पंजीकरण के बाद किसी लाभार्थी के गर्भ गिरने/चिकित्सा से गर्भ-समाप्ति (MTP)/मृत शिशु के जन्म की स्थिति होती है, पीसीटीएस ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज होने की स्थिति में वह लाभार्थी भविष्य में गर्भधारण में लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगी, भले ही उसे पहले सभी किश्तों का लाभ मिल गया हो।
- योजना की शर्तों को पूरा करते हुए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/आंगनवाड़ी सहायिका/आशा सहयोगिनी/साथिन भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री
श्रीमती इंदिरा गाँधी
की जयंती के अवसर पर

अशोक गहलोत
माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री प्रमोद जैन भाया
कैबिनेट मंत्री,
खान एवं पेट्रोलियम विभाग
राजस्थान सरकार

डा. राजु शर्मा
कैबिनेट मंत्री,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान सरकार

श्रीमती ममता भूपेश
राज्यमंत्री,
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान सरकार

शुभारंभ

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

स्वस्थ पोषित माँ और बच्चे के लिए

19 नवम्बर, 2020

योजना क्षेत्र :- उदयपुर, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा और डूँगरपुर

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

शुभारंभ

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

द्वितीय संतान के समय गर्भवती और धात्री महिलाओं को

₹ 6,000

की वित्तीय सहायता

पाँच किश्तों में सहायता राशि का प्रावधान

पहली किश्त	: द्वितीय संतान के समय प्रथम गर्भावस्था जाँच व पंजीकरण होने पर (120 दिवस में)	₹ 1000
दूसरी किश्त	: 2 प्रसव पूर्व जाँचें पूरी होने पर (गर्भावस्था के 6 माह के भीतर)	₹ 1000
तीसरी किश्त	: बच्चे के जन्म पर (संस्थागत प्रसव पर)	₹ 1000
चौथी किश्त	: 3½ माह तक के सभी नियमित टीके लग जाने व नवजात के जन्म पंजीकरण होने पर	₹ 2000
पाँचवीं किश्त	: द्वितीय संतान के उपरांत स्थायी परिवार नियोजन साधन / कॉपर टी लगवाने पर	₹ 1000

वित्तीय सहायता दूसरी बार गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बेहतर पौष्टिक आहार प्राप्त करने में मदद करेगी।

योजना क्षेत्र :
उदयपुर, प्रतापगढ़,
बाँसवाड़ा और डूँगरपुर

DMHFW-Rajasthan

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

शुभारम्भ

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना

द्वितीय संतान के समय
गर्भवती और धात्री महिलाओं को

₹ 6,000

की वित्तीय सहायता

पहली किश्त ₹ 1,000	दूसरी किश्त ₹ 1,000
तीसरी किश्त ₹ 1,000	चौथी किश्त ₹ 2,000
पाँचवीं किश्त ₹ 1,000	

योजना क्षेत्र :
उदयपुर, प्रतापगढ़,
बाँसवाड़ा और डूँगरपुर

वित्तीय सहायता दूसरी बार गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को बेहतर पौष्टिक आहार प्राप्त करने में मदद करेगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान

DMHFW-Rajasthan